पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 296/2013

उनवान :

1. भादरराम पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा। :- वादी

बनाम

1. सतीश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. श्योनारायण पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:-तरतीबी प्रतिवादीगण

3. मांगेराम पुत्र रामपत जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।(फौत)

3/1. परमेश्वरी देवी पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।।

3/2. सुमन पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

3/3. विकास पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

3/4. नवीन पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:- असल प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलीपसिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री कृष्ण गर्ग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक अर्जीदावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है के रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 435/407 के खसरा संख्या 56 उतरादा की 35-14 बीघा, खसरा संख्या 60 की 32-17 बीघा, खसरा संख्या 87 की 28-11 बीघा, खाता संख्या 365/332 के खसरा संख्या 47 कांकरवाला की 12-17 बीघा, खसरा संख्या 77 उतराधा की 28-17 बीघा, खसरा संख्या 91 उतरादा की 13 बीघा, खसरा संख्या 603 की 27-18 बीघा, खसरा नं0 604 की 10-04 बीघा, खाता संख्या 166/168 की खसरा नं0 104 की 7-8 बीघा, खसरा नं0 1009/603 की 9-10 बीघा इस प्रकार तीनों खातों की कुल 206-16 बीघा बारानी खातेदारी वादभूमि में खाता संख्या 435/407 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता धनपतराम के नाम 1/4 हिस्सा, खाता सख्या 365/332 में 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 166 की कुल 16-18 बीघा इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम कुल 67-05 बीघा बारानी में वादी भादर को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 सतीश व प्रतिवादी संख्या 2 श्योनारायण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 मांगेराम का वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। वाद वादी अपना दावा साबित करने में सफल रहे है इस कारण दावा वादी स्वीकार किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.06.2... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

ालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

सं0 : 296/2013

:

भादरराम पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

सतीश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

श्योनारायण पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:–तरतीबी प्रतिवादीगण

3. मांगेराम पुत्र रामपत जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।(फौत)

3/1. परमेश्वरी देवी पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।।

3/2. सुमन पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

3/3. विकास पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

3/4. नवीन पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:– असल प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दलीप सिंह झोरड़ : वादी

वकील श्री कृष्ण गर्ग : प्रतिवादी सं0 3

निर्णय दिनांक : 18.06.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता धनपतराम की रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 435/407 के खसरा संख्या 56 उतरादा की 35–14 बीघा, खसरा संख्या 60 की 32–17 बीघा, खसरा संख्या 87 की 28–11 बीघा, खाता संख्या 365/332 के खसरा संख्या 47 कांकरवाला की 12–17 बीघा, खसरा संख्या 77 उतराधा की 28–17 बीघा, खसरा संख्या 91 उतरादा की 13 बीघा, खसरा संख्या 603 की 27–18 बीघा, खसरा नं0 604 की 10–04 बीघा खाता संख्या 166/168 की खसरा नं0 104 की 7–8 बीघा खसरा नं0 1009/603 की 9–10 बीघा इस प्रकार तीनों खातों की कुल 206–16 बीघा बारानी खातेदारी वादभूमि में खाता संख्या 435/407 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता धनपतराम के नाम 1/4 हिस्सा, खाता सख्या 365/332 में 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 166 की कुल ... बीघा ... वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम कुल 67–05 बीघा बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं वादी की माता चूसी देवी के धनपतराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.02.1978 को एक दस्तकारी निष्पादित करवाई कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 435/407 के खसरा संख्या 56 उतरादा की 35–14 बीघा, खसरा संख्या 60 की 32–17 बीघा, खसरा संख्या 87 की 28–11 बीघा, खाता संख्या 365/332 के खसरा संख्या 47 कांकरवाला की 12–17 बीघा, खसरा संख्या 77 उतराधा की 28–17 बीघा, खसरा संख्या 91 उतरादा की 13 बीघा, खसरा संख्या 603 की 27–18 बीघा,

Scanned with CamScanner

...0 604 की 10–04 बीघा खाता संख्या 166/168 की खसरा नं0 104 की 7–8 बीघा ...0 1009/603 की 9–10 बीघा इस प्रकार तीनों खातों की कुल 206–16 बीघा बारानी ...ी वादभूमि में खाता संख्या 435/407 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का ...हिस्सा, खाता संख्या 365/332 में 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 166 में 16–18 बीघा ...कार कुल 67–05 बीघा वादभूमि में प्रत्येक 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार होगा। ...ब्जा वादभूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 व वादी की माता मु0 चूसी को ...दिया तब से लगातार 22.02.1978 से आज तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादभूमि ...बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक चले आ रहे है। लेकिन उक्त दस्तबरदारी का नामान्तरण ...एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा मु0 चुसी के पक्ष में तस्दीक नहीं हो सका क्योंकि ...क 10.03.1978 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व मु0 चुसी के पक्ष में कराई ...बरदारी संख्या 146 की प्रति को निरीक्षण के दौरान दस्तबरदारी नहीं मानकर गिफ्ट डीड ...तारीफ में बताया जिसका निर्णय दिनांक 16.11.1993 को न्यायालय कलक्टर मुद्रांक ...महानिरीक्षक हनुमानगढ़ ने फैसला फरमाया कि दस्तबरदारी मानकर ही कार्यवाही को ड्रोप ...या जावे। इसी बीच दिनांक 18.12.2000 को वादी के पिता धनपतराम का देहान्त होने पर ...दी व प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा मु0 चुसी दस्तबरदारी लिखने की तारीख 22.02. ...978 से खातेदार काश्तकार हो चुके है। चुंकि मु0 चुसी का भी देहान्त हो चुका है ...स्तबरदारी के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 धनपतराम के नाम दर्ज 67–5 बीघा ...भूमि में 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी के पिता ...धनपतराम जो काफी वृद्ध हो चुके थे अपना भला बुरा समझ पाने में असमर्थ थे जिसका ...नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 3 ने खाता संख्या 166/168 के खसरा संख्या 104 कांकड़वाला की 7–8 बीघा खसरा नं0 1009/603 की 9 बीघा 10 विस्वा कुल 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि की वसीयत अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका धनपत को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार वसीयत दिनांक 19.08.1998 अपनी जात से शून्य बेअसर है। जिससे प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार के हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2025(1)DNJ(RAJ)63 RAJASTHAN HIGH COURT प्रस्तुत किये गये।

वादी द्वारा वाद पेश के विरूद्ध वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या ... पेश कर कथन किया कि धनपत ने कभी भी दस्तबरदारी ... व 2 के पक्ष में दस्तबरदारी की आरटीएक्ट में हरतान्तरण ... की जा सकती है। दस्तबरदारी से वादी व प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है तथा दस्...दारी अवैध व शून्य दस्तावेज है। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कब्जा नहीं सौंपा था। दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार के अधिकारों के घोषणा करवाने के मजाज नहीं है। धनपतराम ने दिनांक 19.08.1998 को ख0नं0 104 रोही कलाना की 7.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...सरा0 1009/603 की 9.10 बीघा कुल 16 बीघा 18 बिस्वा की वसीयत प्रतिवादी ... के पक्ष में करवाई जो वैध एवं कानून सम्मत है जिसका धनपत की मृत्यु के बाद ... हो गया। वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा में अतिरिक्त कथन किया कि ...धनपतराम के एक भाई रामपत था जिसकी मृत्यु 1971 में हो गई उसकी बेवा पत्नी मु0 ... ने अपने पति रामपत की मृत्यु के अर्से करीब 3 वर्ष बाद स्थानीय व बिरादरी की ... के मुताबिक धनपत से करेवा पुनर्विवाह कर लिया था। दोनों बतौर पति पत्नी साथ ...और धनपत के शुल्के से मु0 परमेश्वरी से प्रतिवादी संख्या 3 का जन्म कलाना में दिनांक ...1979 को हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 की परवरिश धनपतराम ने ही की थी। धनपतराम ने ... मृत्यु से अरसा करीब 2 वर्ष पूर्व उक्त 16–18 बीघा की वसीयत प्रतिवादी संख्या 3 के ... लिखवाकर सब रजिस्ट्रार के तस्दीक करवाई। वादी ने दावा दस्तबरदारी नाम के ...वेज पर आधारित किया गया है जो किसी भी कानून के तहत वैध हस्तान्तरण की श्रेणी ...नहीं आता है। इसलिये वादी को उक्त अवैध दस्तावेज से कोई भी वैध अधिकार बाबत ... हासिल नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 3 मांगेराम धनपत का पुत्र है। जो परमेश्वरी से ... लिया है तथा जवाबदावा पेश किया व वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित करवाना ...ा है । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा न्यायिक दृष्टांत AIR 1971 ...PEREME COURT 1865, INDIAN EVIDANCE ACT 1872 SECTION 68 PAGE NUMBER ...3, 2021(4) CIVIL COURT CASES 239(A.P.) ANDHRA PRADESH HIGH COURT, ...015(4) DNJ(RAJASTHAN) 1460 RAJASTHAN HIGH COURT, 2025(1) CIVIL COURT ...ASES 057(ALLAHABAD) ALLAHABAD HIGH COURT, 2022(2) CIVIL COURT CASES ...17 (BOMBAY HIGH COURT) प्रस्तुत किये गये।

...भय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विचरित किये गयेः–

1. आया वाद भूमि में धनपत के तीनों खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है ? वादी
2. आया वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है ? प्रतिवादी
3. अनुतोष।

वादी की ओर से अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 भादरराम स्वयं व पी0डब्ल्यू0 2 श्योनारायण उर्फ श्योकरण, पी0डब्ल्यू0 3 अमीलाल को पेश कर परीक्षित करवाया दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ... प्रति दिनांक 22.02.1978 प्रदर्श 1 व वादभूमि की जमाबंदी ... करवाया साक्ष्यवादी समाप्त हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested

जबकि प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में गवाह डी0डब्ल्यू0 1 मांगेराम व डी0डब्ल्यू0 2 महावीर प्रसाद, डी0डब्ल्यू0 3 रामचन्द्र को पेशकर परीक्षित करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में असल वसीयत प्रदर्श ईएक्सडी 1, उच्च माध्यमिक विद्यालय

...लक्टर
...)भादरा

Scanned with CamScanner

... द्वारा जारी असल प्रमाण पत्र दिनांक 12.04.2001 ईएक्सडी 2, असल पारिवारिक कोई प्रमाण पत्र ईएक्सडी 3 जिसकी फोटोप्रति ईएक्सडी 3 ए है जो पत्रावली में ... है, धनपतराम का असल परिवार राशन कार्ड ईएक्सडी 4 है जिसकी फोटोप्रति ईएक्सडी 4 ए है जो शामिल पत्रावली है, प्रमाणित जमाबंदी खतौनी संवत 2054 से ... रोही मौजा कलाना ईएक्सडी 5 पेश कर प्रदर्शित करवाये ।

... उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा विवाद्यको का विवेचन निम्न प्रकार है

... वाद्यक सं0 1 :- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त विवाद्यक ... के दौराने बहस वादी पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि दावा की मद संख्या 1 व ... वर्णित कृषि भूमि धनपत की खातेदारी भूमि थी तथा धनपत को अपनी खातेदारी कृषि ... के संबंध में रहन बैय व दान व अन्य तरीके से मुन्तकिल करने का अधिकार था। ... कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए धनपत ने अपने जीवनकाल में ... 22.02.1978 को अपने सगे पुत्र वादी भादर व प्रतिवादी संख्या 1 अमीलाल व ... प्रतिवादी संख्या 2 श्योनारायण व अपनी पत्नी चुसी के पक्ष में उपपंजीयक भादरा के समक्ष दस्तबरदारी रजिस्टर्ड करवा दी तथा वाद भूमि का कब्जा वादी एवं प्रतिवादी 1 तथा 2 व उनकी माता चुसी देवी को सौंप दिया। उक्त दस्तबरदारी दिनांक 11.03.1978 को निरीक्षण के दौरान दस्तबरदारी न मानकर दानपत्र की तारीफ में बताया जिसका निर्णय दिनांक 16. 11.1993 को माननीय उपमहानिरीक्षक मुद्रांक ने दस्तबरदारी मानकर कार्यवाही ड्रॉप कर दिया। इस प्रकार धनपत की खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा कलाना की भूमि मे वादी व प्रतिवादी खातेदार काश्तकार हो गये एवं वादी की माता चूसी देवी का देहान्त होने पर चूसी देवी का हिस्सा भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्सा में आ गया । इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार हो गये। प्रतिवादी संख्य 3 ने वसीयत के आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार भादरा समक्ष कार्यवाही शुरू की गई जिसका पता चलने पर वाद पेश किया गया तथा दस्तबरदारी दिनांक 22.02.1978 में भी स्पष्ट रूप से वाद भूमि अपने पुत्रों व पत्नी को देना लिखा है। प्रतिवादी संख्या 3 ने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में स्वीकार करता है कि मेरी मां ने धनपतराम से पुनर्विवाह किया जिसकी एसडीएम कॉर्ट में लीखापढी हुई थी ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया तथा साक्ष्य प्रतिवादी के दौरान डी0डब्ल्यू02 महावीर प्रसाद ने भी स्वीकार किया कि मैंने धनपत व परमेश्वरी देवी की शादी नहीं देखी तथा मांगेराम हमारे ध्यान में धनपत का है। मांगेराम धनपत के साथ ही रहता है। इसलिये मैं कह रहा हुं कि मांगेराम धनपत का है। प्रतिवादी संख्या 3 ने धनपतराम व परमेश्वरी देवी का विवाह के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नही किया। प्रतिवादी संख्या 3 मांगेराम स्वयं ने ... स्वीकार किया कि वसीयत का नामान्तरण बाबत कोई दरख्वास्त नहीं दी ... मां ने वसीयत के नामान्तरण बाबत कोई दरख्वास्त दी। ... दस्तबरदारी में हवाला दिया है तथा वसीयत में तीनों ... मांगेराम केवल मात्र 16 बीघा 18 बिस्वा की भूमि का मालिक बनना चाहता है। प्रतिवादी ... वसीयत साबित करने के गवाह डी0डब्ल्यू02 महावीर व डी0डब्ल्यू03 रामचन्द्र प्रति परीक्षण में स्वीकार करते है कि वसीयत इ0एक्स0डी0 में मांगेराम के हस्ताक्षर उनकी मौजूदगी में सब रजिस्ट्रार की मोजूदगी में करवाये गये थे। मागेंराम डी0डब्ल्यू0 1 कहता है कि वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। वादी के पिता धनपतराम ने अपने पुत्रों के नाम रजिस्टर्ड दस्तावेज से अपना हक त्याग किया है महानिरीक्षक मुद्रांक ने गिफ्ट डीड नहीं मानकर दस्तबरदारी माना है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...वादी का पिता अपने बेटों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपनी भूमि देना ...था उसने दस्तावेज लिखवाने के दिन ही अपना कब्जा शून्य कर लिया था। इस ...वादभूमि भादर के पिता धनपतराम के कब्जा काश्त में नहीं थी। इसलिये वह अपनी ...काश्त व मालिकाना में भूमि नहीं होने के कारण वरीयत मांगेराम के पक्ष में करने ...अधिकार नहीं रखता था। तथा वरीयत में अपने द्वारा की गई दस्तबरदारी का भी कोई ...नहीं करता है वरीयत दिनांक 19.08.1998 को मांगेराम के पक्ष में की गई है वह ...काश्त के अभाव में शून्य दस्तावेज है। ऐसे में वादी के उक्त दस्तावेज के संबंध में ...गई बहस से प्रतिवादी संख्या 3 को कोई बल नहीं मिलता इस प्रकार इस तनकी को ...साबित करने में सफल रहा है अतः इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में तथा ...प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध किया जाता है।

...तनकी नं0 2 इस तनकी को साबित का भार सबुत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर था। वादी ...की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है। ...जिसमे उपर वर्णित कायम तनकी संख्या 1 वादी की ओर से बखूबी साबित करने में सफल ...रहे है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हक व हकूक निहित है। एसी सूरत में ...यदि प्रतिवादी संख्या 3 वादी व प्रतिवादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर ...से दखलअन्दाजी की जाती है तो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को क्षति होगी अतः हम तनकी संख्या 1 को वादी द्वारा साबित की जाने की स्थिति में तनकी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 3 के विपक्ष में तथा वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकरी अधिनियम 1955 भलीभांति साबित होने के कारण वाद भूमि वर्तमान रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 435/407 के खसरा संख्या 56 उतरादा की 35–14 बीघा, खसरा संख्या 60 की 32–17 बीघा, खसरा संख्या 87 की 28–11 बीघा, खाता संख्या 365/332 के खसरा संख्या 47 कांकरवाला की 12–17 बीघा, खसरा संख्या 77 उतराधा की 28–17 बीघा, खसरा संख्या 91 उतरादा की 13 बीघा, खसरा संख्या 603 की 27–18 बीघा, खसरा नं0 604 की 10–04 बीघा, खाता संख्या 166/168 की खसरा नं0 104 की 7–8 बीघा, खसरा नं0 1009/603 की 9–10 बीघा इस प्रकार तीनों खातों की कुल 206–16 बीघा बारानी खातेदारी वादभूमि में खाता संख्या 435/407 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता धनपतराम के नाम 1/4 हिस्सा, खाता सख्या 365/332 में 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 166 की कुल 16–18 बीघा इस प्रकार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम कुल 67–05 बीघा बारानी में वादी भादर को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 सतीश व प्रतिवादी संख्या 2 श्योनारायण प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 मांगेराम का वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। वाद वादी अपना दावा साबित करने में सफल रहे है इस कारण दावा वादी स्वीकार किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो [illegible] होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया [illegible] दुरूस्त किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। इसी [illegible]

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested

(मोहर: सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़))

Kalpit

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
भादरा

Scanned with CamScanner